

वसंत

भाग 1



कक्षा 6 के लिए
हिंदी की पाठ्यपुस्तक



0644



राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
NATIONAL COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING

0644 – वसंत कक्षा 6 के लिए पाठ्यपुस्तक

ISBN 81-7450-481-8

प्रथम संस्करण

जनवरी 2006 माघ 1927

पुनर्मुद्रण

फरवरी 2007, दिसंबर 2007,
दिसंबर 2008, दिसंबर 2009,
जनवरी 2011, फ़रवरी 2012,
नवम्बर 2012, नवंबर 2013,
दिसंबर 2014, दिसंबर 2015,
दिसंबर 2016, अक्टूबर 2017,
दिसंबर 2018, अगस्त 2019,
जनवरी 2021, नवंबर 2021
फरवरी 2022

संशोधित संस्करण

सितंबर 2022 भाद्रपद 1944

PD 320T BS

© राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण
परिषद्, 2006, 2022

₹ 65.00

एन.सी.ई.आर.टी. वाटरमार्क 80 जी.एस.एम. पेपर पर मुद्रित।

प्रकाशन प्रभाग में सचिव, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, श्री अरविंद मार्ग, नवी दिल्ली 110 016 द्वारा प्रकाशित तथा इंडिया ऑफिसेट प्रिंटर्स प्रा. लि., वी-20/1, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, केन्ज-II, नवी दिल्ली - 110 020 द्वारा मुद्रित।

सर्वाधिकार सुरक्षित

- प्रकाशक की पूर्व अनुमति के बिना इस प्रकाशन के किसी भाग को लापना तथा इलेक्ट्रॉनिका, मोबाइल, फोटोटाइलिप, रिकार्डिंग अथवा किसी अन्य विधि से पुनः प्रयोग पद्धति द्वारा उसका संग्रहण अथवा प्रसारण वर्जित है।
- इस पुस्तक की विक्री इस शर्त के साथ की गई है कि प्रकाशक की पूर्व अनुमति के बिना वह पुस्तक अपने मूल आवरण अथवा जिल्द के अलावा किसी अन्य वर्कर में व्यापार द्वारा उधारी पर, पुनर्विक्रय या किराए पर न हो जाएगी, न बेची जाएगी।
- इस प्रकाशन का सही मूल्य इस पृष्ठ पर मुद्रित है। रबड़ की मुहर अथवा चिपकाई गई पर्ती (स्टिकर) या किसी अन्य विधि द्वारा अंकित काई भी संशोधित मूल्य गलत है तथा मात्य नहीं होगा।

एन.सी.ई.आर.टी. के प्रकाशन प्रभाग के कार्यालय

एन.सी.ई.आर.टी. कैंपस

श्री अरविंद मार्ग

नवी दिल्ली 110 016

दूरभाष : 011-26562708

108, 100 फीट रोड

हेली एक्सटेंशन, होस्टेक्स

बालाशकरी III स्ट्रेज

बैंगलुरु 560 085

दूरभाष : 080-26725740

नवजीवन ट्रस्ट भवन

डाकघर नवजीवन

अहमदाबाद 380 014

दूरभाष : 079-27541446

सी.डब्ल्यू.सी. कैंपस

निकट: धनकल बस स्टॉप

पहिली

कोलकाता 700 114

दूरभाष : 033-25530454

सी.डब्ल्यू.सी. कौम्पलैस

मालीगाँव

गुवाहाटी 781021

दूरभाष : 0361-2674869

प्रकाशन सहयोग

अध्यक्ष, प्रकाशन प्रभाग	: अनूप कुमार राजपूत
मुख्य उत्पादन अधिकारी	: अरुण चितकारा
मुख्य व्यापार प्रबंधक	: विष्णु दिवान
मुख्य संपादक (प्रभारी)	: विज्ञान सुतार
संपादक	: मीरा कांत
उत्पादन सहायक	: ओम प्रकोश

आवरण, सन्ज्ञा एवं चित्रांकन

जोएल गिल तथा विप्लव शशि

आमुख

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (2005) सुझाती है कि बच्चों के स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। यह सिद्धांत किताबी ज्ञान की उस विरासत के विपरीत है जिसके प्रभाववश हमारी व्यवस्था आज तक स्कूल और घर के बीच अंतराल बनाए हुए हैं। नयी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या पर आधारित पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों इस बुनियादी विचार पर अमल करने का प्रयास है। इस प्रयास में हर विषय को एक मज़बूत दीवार से घेर देने और जानकारी को रटा देने की प्रवृत्ति का विरोध शामिल है। आशा है कि ये कदम हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) में वर्णित बाल-केंद्रित व्यवस्था की दिशा में काफ़ी दूर तक ले जाएँगे।

इस प्रयत्न की सफलता अब इस बात पर निर्भर है कि स्कूलों के प्राचार्य और अध्यापक बच्चों को कल्पनाशील गतिविधियों और सवालों की मदद से सीखने और सीखने के दौरान अपने अनुभव पर विचार करने का कितना अवसर देते हैं। हमें यह मानना होगा कि यदि जगह, समय और आजादी दी जाए तो बच्चे बड़े द्वारा सौंपी गई सूचना-सामग्री से जुड़कर और जूँझकर नए ज्ञान का सृजन करते हैं। शिक्षा के विविध साधनों एवं स्रोतों की अनदेखी किए जाने का प्रमुख कारण पाठ्यपुस्तक को परीक्षा का एकमात्र आधार बनाने की प्रवृत्ति है। सर्जना और पहल को विकसित करने के लिए ज़रूरी है कि हम बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में पूरा भागीदार मानें और बनाएँ, उन्हें ज्ञान की निर्धारित खुराक का ग्राहक मानना छोड़ दें।

यह उद्देश्य स्कूल की दैनिक ज़िंदगी और कार्यशैली में काफ़ी फेरबदल की माँग करते हैं। दैनिक समय-सारणी में लचीलापन उतना ही ज़रूरी है, जितना वार्षिक कैलेंडर के अमल में चुस्ती, जिससे शिक्षण के लिए नियत दिनों की

संख्या हकीकत बन सके। शिक्षण और मूल्यांकन की विधियाँ भी इस बात को तय करेंगी कि यह पाठ्यपुस्तक स्कूल में बच्चों के जीवन को मानसिक दबाव तथा बोरियत की जगह खुशी का अनुभव बनाने में कितनी प्रभावी सिद्ध होती है। बोझ की समस्या से निपटने के लिए पाठ्यक्रम निर्माताओं ने विभिन्न चरणों में ज्ञान का पुनर्निर्धारण करते समय बच्चों के मनोविज्ञान एवं अध्यापन के लिए उपलब्ध समय का ध्यान रखने की पहले से अधिक सचेत कोशिश की है। इस कोशिश को और गहराने के यत्न में यह पाठ्यपुस्तक सोच-विचार और विस्मय, छोटे समूहों में बातचीत एवं बहस और हाथ से की जाने वाली गतिविधियों को प्राथमिकता देती है।

एन.सी.ई.आर.टी. इस पुस्तक की रचना के लिए बनाई गई पाठ्यपुस्तक निर्माण समिति के परिश्रम के लिए कृतज्ञता व्यक्त करती है। परिषद् भाषा सलाहकार समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर नामवर सिंह और इस पुस्तक के मुख्य सलाहकार प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल की विशेष आभारी है। इस पाठ्यपुस्तक के विकास में कई शिक्षकों ने योगदान किया, इस योगदान को संभव बनाने के लिए हम उनके प्राचार्यों के आभारी हैं। हम उन सभी संस्थाओं और संगठनों के प्रति कृतज्ञ हैं जिन्होंने अपने संसाधनों, सामग्री तथा सहयोगियों की मदद लेने में हमें उदारतापूर्वक सहयोग दिया। हम माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रोफेसर मृणाल मीरी एवं प्रोफेसर जी.पी. देशपांडे की अध्यक्षता में गठित निगरानी समिति (मॉनिटरिंग कमेटी) के सदस्यों को अपना मूल्यवान समय और सहयोग देने के लिए धन्यवाद देते हैं। व्यवस्थागत सुधारों और अपने प्रकाशनों में निरंतर निखार लाने के प्रति समर्पित एन.सी.ई.आर.टी. टिप्पणियों एवं सुझावों का स्वागत करेगी जिनसे भावी संशोधनों में मदद ली जा सके।

नयी दिल्ली
20 दिसंबर 2005

निदेशक
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और
प्रशिक्षण परिषद्

* पाठ्यपुस्तकों में पाठ्य सामग्री का पुनर्संयोजन *

कोविड-19 महामारी को देखते हुए, विद्यार्थियों के ऊपर से पाठ्य सामग्री का बोझ कम करना अनिवार्य है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 में भी विद्यार्थियों के लिए पाठ्य सामग्री का बोझ कम करने और रचनात्मक नज़रिए से अनुभवात्मक अधिगम के अवसर प्रदान करने पर ज़ोर दिया गया है। इस पृष्ठभूमि में, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ने सभी कक्षाओं में पाठ्यपुस्तकों को पुनर्संयोजित करने की शुरुआत की है। इस प्रक्रिया में रा.शे.अ.प्र.प. द्वारा पहले से ही विकसित कक्षावार सीखने के प्रतिफलों को ध्यान में रखा गया है।

पाठ्य सामग्रियों के पुनर्संयोजन में निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखा गया है —

- स्कूली शिक्षा के विभिन्न स्तरों की पाठ्यपुस्तकों एवं पूरक पाठ्यपुस्तकों में समान विधाओं का समायोजन;
- भाषायी दक्षता के लिए सीखने के प्रतिफलों की प्राप्ति संबंधी विषय वस्तु की उपस्थिति;
- कोविड महामारी से पैदा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम-बोझ और परीक्षा तानाव को कम करना;
- विद्यार्थियों के लिए सहज रूप से सुलभ पाठ्य सामग्री का होना, जिसे शिक्षकों के अधिक हस्तक्षेप के बिना, वे खुद से या सहपाठियों के साथ पारस्परिक रूप से सीख सकते हों;
- वर्तमान संदर्भ में अप्रासंगिक सामग्री का होना।

वर्तमान संस्करण, ऊपर दिए गए परिवर्तनों को शामिल करते हुए तैयार किया गया पुनर्संयोजित संस्करण है।

not to be republished
© NCERT

पाठ्यपुस्तक निर्माण समिति

अध्यक्ष, भाषा सलाहकार समिति

नामवर सिंह, पूर्व अध्यक्ष, भारतीय भाषा केंद्र, जे.एन.यू., नयी दिल्ली।

मुख्य सलाहकार

पुरुषोत्तम अग्रवाल, पूर्व प्रोफेसर, भारतीय भाषा केंद्र, जे.एन.यू., नयी दिल्ली।

मुख्य समन्वयक

रामजन्म शर्मा, पूर्व प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, भाषा शिक्षा विभाग, एन.सी.ई.आर.टी., नयी दिल्ली।

सदस्य

नरेश कोहली, प्रवक्ता, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, भोपाल।

नूतन झा, अध्यापिका, मीराबिका स्कूल, नयी दिल्ली।

प्रभात कुमार झा, अंकुर, सर्वप्रिय विहार, नयी दिल्ली।

प्रेमपाल शर्मा, 96 कला विहार, मयूर विहार, फ़ेज़-1, दिल्ली।

मलयश्री हाशमी, जे-147, आर. बी. एनक्लेव, पश्चिम विहार, नयी दिल्ली।

मीरा कांत, पूर्व संपादक, प्रकाशन विभाग, एन.सी.ई.आर.टी., नयी दिल्ली।

मुकुल प्रियदर्शी, प्राध्यापिका, मिरांडा हाउस, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली।

रामचंद्र, प्रवक्ता (हिंदी), जे.एन.यू., नयी दिल्ली।

सदस्य समन्वयक

संजय कुमार सुमन, वरिष्ठ प्रवक्ता, भाषा शिक्षा विभाग, एन.सी.ई.आर.टी., नयी दिल्ली।

पाठ्यपुस्तक परिवर्धन समिति

प्रेमपाल शर्मा, 96 कला विहार, मयूर विहार, फेज-1, दिल्ली।
मुकुल प्रियदर्शिनी, प्राध्यापिका, मिरांडा हाउस, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली।
प्रभात कुमार झा, अंकुर, सर्वप्रिय विहार, नयी दिल्ली।
सुशील शुक्ल, एकलव्य, भोपाल।

सदस्य समन्वयक
प्रमोद कुमार दुबे, प्रवक्ता, भाषा विभाग, एन.सी.ई.आर.टी., नयी दिल्ली।

आभार

इस पुस्तक निर्माण में जिन लेखकों और कवियों की रचनाओं को समिलित किया गया है उसके लिए—राजकमल प्रकाशन, राजपाल एंड संस, नेशनल बुक ट्रस्ट, चिल्ड्रन्स बुक ट्रस्ट, परिमल प्रकाशन, हंस प्रकाशन, ज्ञान-विज्ञान प्रकाशन, स्टार पब्लिकेशन, प्रभात प्रकाशन, वेब ऑफ़ लाइफ़, एकलव्य और ‘आबिद की चुटकी’ के लिए प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट आबिद सुरती का हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं।

इसके निर्माण में तकनीकी सहयोग के लिए हम कंप्यूटर स्टेशन (भाषा विभाग) के प्रभारी परशराम कौशिक; डी.टी.पी. ऑपरेटर जय प्रकाश राय, सचिन कुमार और अरविंद शर्मा; कॉपी एडिटर राम जी तिवारी, सुप्रिया गुप्ता और समीना उस्मानी; प्रूफ रीडर भगवती अम्माल और पूजा नेगी तथा चित्रकार आलोक हरि का हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं।

पाठ्यचर्चया समूह द्वारा गठित की गई समीक्षा समिति में भाषा शिक्षा विभाग के हिंदी संकाय सदस्य तथा सीबीएसई के प्रतिनिधि शामिल हुए, उन सभी के प्रति परिषद् आभार व्यक्त करती है।

* शिक्षक से *

यह किताब राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रूपरेखा (2005) के आधार पर तैयार किए गए पाठ्यक्रम पर आधारित है। यह पारंपरिक भाषा शिक्षण की कई सीमाओं से आगे जाती है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की नयी रूपरेखा भाषा को बच्चे के व्यक्तित्व का सबसे समृद्ध संसाधन मानते हुए उसे पाठ्यक्रम के हर विषय से जोड़कर देखती है। इस नाते पाठ्यसामग्री का चयन और अभ्यासों में बच्चे के भाषायी विकास की समग्रता को ध्यान में रखा गया है। कई अभ्यास-प्रश्न भाषा शिक्षण की परिचित परिधि से बाहर जाकर प्रकृति, समाज, विज्ञान, इतिहास आदि में बच्चे की जिज्ञासा को नए आयाम देते हैं। उदाहरण के लिए शमशेर बहादुर सिंह की कविता ‘चाँद से थोड़ी सी गप्पें’ में दिया गया एक प्रश्न चंद्रमा की कलाओं के बारे में है और सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता ‘झाँसी की रानी’ में इतिहास और भूगोल के भी कुछ प्रश्न दिए गए हैं। ऐसे प्रश्नों के ज़रिए बच्चों को हिंदी की विपुल शब्द-संपदा के विविध हिस्सों का स्पर्श मिलेगा। वे आज के शहरी जीवन में अपेक्षाकृत कम सुनाई पड़ने वाले शब्दों और प्रयोगों को अपना सकेंगे।

नयी कविता बच्चों के लिए अनुपयुक्त मानी जाती रही है। शिक्षकों में भी उसे भावार्थ, सीख आदि के पारंपरिक शैक्षणिक पैमानों पर कुछ अटपटा मानने की प्रवृत्ति रही है। इससे साहित्य की समग्रता के प्रति बच्चों की रुचि को बढ़ाने में हम सफल नहीं हो सकते। नयी कविता के पाठ और प्रश्न-अभ्यासों के माध्यम से बच्चों के ज्ञान और ग्रहण कौशल का विकास किया जा सकता है। अंततः कोई भी भाषा-पुस्तक तभी सफल मानी जाएगी जब वह बच्चों को साहित्य की धरोहर और आज लिखे जा रहे साहित्य के प्रति उत्सुक बनाए।

हिंदी के प्रचलित विभिन्न रूप और उसकी बोलियाँ भी इसकी धरोहर का अंग हैं और उस लोक का निर्माण करती हैं जिसमें हिंदी फलती-फूलती रही है। विभिन्न पाठों में यत्र-तत्र प्रयोग में आए हिंदी के प्रचलित रूपों और बोलियों का ज्ञान संसाधन के रूप में शिक्षक इस्तेमाल करें और बच्चों को भी इसके प्रयोग के लिए प्रेरित करें तो हिंदी की इस विस्तृत लोक-निधि के प्रति आदर और उत्साह का संस्कार विकसित होगा। उदाहरण के लिए प्रारंभिक हिंदी की झलक देने वाली अवधी में लिखी गई तुलसीदास की कविता ‘वन के मार्ग में’ और आज की हिंदी की झलक देने वाली कृष्णा सोबती की रचना

‘बचपन’ तथा विष्णु प्रभाकर का एकांकी ‘ऐसे-ऐसे’ के भाषा प्रयोगों के नमूनों से बच्चों को हिंदी की समृद्ध परंपरा के प्रति संवेदनशील बनाया जा सकता है।

बहुभाषिकता की झलक पाठों में एक स्रोत के रूप में दिखाई देगी। भारतीय भाषाओं से लिए गए कुछ अनूदित पाठ जैसे ‘टिकट अलबम’ विद्यार्थियों को भारतीय भाषाओं की रचनाओं से परिचित कराएँगे। पाठ्यपुस्तक में ही **व्याकरण** की समझ उत्पन्न करने के लिए इससे संबंधित अभ्यास दिए गए हैं, इसलिए अलग से व्याकरण की कोई पुस्तक नहीं दी जा रही है। आशा है ऐसे अभ्यासों के द्वारा विद्यार्थियों में भाषायी समझ विकसित होगी और बिना रटे ही उनमें भाषायी कौशलों का विकास होगा।

राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की नयी रूपरेखा में हाथों से की जाने वाली गतिविधियों, उसकी कला संबंधी दक्षता व रुचि को प्रोत्साहित करने तथा कक्षा के बाहर का जीवन-जगत कक्षा में लाने एवं उसे चर्चा का विषय बनाने की आवश्यकता पर बल दिया गया है।

पाठ्यपुस्तक के प्रति विद्यार्थी के अपनेपन को और सघन बनाने के लिए पाठों के अतिरिक्त कुछ रोचक सामग्रियाँ दी गई हैं। इसी तरह पाठों के साथ विद्यार्थी की जानकारी और जिज्ञासा को बढ़ाने वाली सामग्रियाँ भी रखी गई हैं। इन पाठ्यसामग्रियों का अंतर्संबंध अन्य शैक्षिक विषयों से बनता है और इनसे विद्यार्थी के संबंधित ज्ञान में वृद्धि होती है। ‘केवल पढ़ने के लिए’ के अंतर्गत दी गई पाठ्यसामग्रियाँ इस दृष्टि से अधिक उपयोगी हैं कि उनका पाठों के साथ अंतर्संबंध है। शिक्षकों से अपेक्षा है कि ‘केवल पढ़ने के लिए’ दी गई पाठ्यसामग्रियों के आधार पर परीक्षा के प्रश्न-पत्रों में किसी भी प्रकार के प्रश्न न पूछें। हाँ, शिक्षण के क्रम में इन पाठ्यसामग्रियों की चर्चा की जा सकती है तथा परिवेश के अनुसार अन्य पाठ्यसामग्रियाँ भी दी जा सकती हैं।

इस पाठ्यपुस्तक में बच्चों की स्वाभाविक अभिव्यक्ति, कल्पनाशीलता, कौशल और सोच को आसपास के परिवेश में ही विकसित करने हेतु उसके खुद कुछ करने, लिखने-पढ़ने एवं देखने-सुनने के साथ अन्य गतिविधियों के संबंधन हेतु ‘पाठ से आगे’ तथा ‘अनुमान और कल्पना’ के तहत कुछ नए तरह के प्रश्न-अभ्यासों का निर्माण किया गया है, जिसे शिक्षक और बच्चों के सम्मिलित प्रयासों से ही सही रूप में पूरा किया जाना संभव है। इसलिए शिक्षकों से आशा है कि वे इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विद्यार्थियों का उचित मार्ग-दर्शन करें। हस्त-शिल्प कला और अन्य स्थानीय कलाओं के लिए सुविधानुसार शिक्षक कुछ अभ्यास-कार्य व आवश्यक गतिविधियाँ स्वयं भी करा सकते हैं। □



पाठ-सूची

- आमुख iii
- पाठ्यपुस्तकों में पाठ्य सामग्री का पुनर्संयोजन v
- शिक्षक से ix

1. वह चिड़िया जो (कविता)	केदारनाथ अग्रवाल	1
2. बचपन (संस्मरण)	कृष्णा सोबती	5
3. नादान दोस्त (कहानी)	प्रेमचंद	13
4. चाँद से थोड़ी-सी गप्पें (कविता)	शमशेर बहादुर सिंह	23
5. साथी हाथ बढ़ाना (गीत)	साहिर तुधियानवी	28
एक दौड़ ऐसी भी (केवल पढ़ने के लिए)		32
6. ऐसे-ऐसे (एकांकी)	विष्णु प्रभाकर	34
7. टिकट-अलबम (कहानी)	सुंदरा रामस्वामी	44
8. झाँसी की रानी (कविता)	सुभद्रा कुमारी चौहान	54
9. जो देखकर भी नहीं देखते (निबंध)	हेलेन केलर	65
छूना और देखना (केवल पढ़ने के लिए)		71
10. संसार पुस्तक है (पत्र)	जवाहरलाल नेहरू	72
11. मैं सबसे छोटी होऊँ (कविता)	सुमित्रानन्दन पंत	79
12. लोकगीत (निबंध)	भगवतशरण उपाध्याय	82
दो हरियाणवी लोकगीत (केवल पढ़ने के लिए)		89
13. नौकर (निबंध)	अनु बंद्योपाध्याय	90
14. वन के मार्ग में (कविता)	तुलसीदास	100
शब्दकोश		103
मत बाँटो इंसान को (केवल पढ़ने के लिए)	विनय महाजन	108

भारत का संविधान

उद्देशिका

हम, भारत के लोग, भारत को एक ¹[संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य] बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को :

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय,
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म
और उपासना की स्वतंत्रता,
प्रतिष्ठा और अवसर की समता
प्राप्त कराने के लिए,
तथा उन सब में
व्यक्ति की गरिमा और ²[राष्ट्र की एकता
और अखंडता] सुनिश्चित करने वाली बंधुता
बढ़ाने के लिए

दृढ़संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर, 1949 ई. को एतद्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।

1. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 2 द्वारा (3.1.1977 से) “प्रभुत्व-संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य” के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 2 द्वारा (3.1.1977 से) “राष्ट्र की एकता” के स्थान पर प्रतिस्थापित।